

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

—: अधिसूचना :—

संचिका संख्या-6 / वि०पत्रा०-24-37 / 2025

पटना, दिनांक:-

श्री गोपाल कुमार, राज्य-कर उपायुक्त (53-55वीं बैच), विशेष अंचल, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 10.06.2025 से 24.06.2025 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्री कुमार के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (300-15=285) (दो सौ पचासी) दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह० / -

(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6 / वि०पत्रा०-24-37 / 2025 2621 पटना, दिनांक:-26/06/25

प्रतिलिपि :-प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय कोषागार, पटना/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), विशेष अंचल, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच०आर०एम०एस०, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री गोपाल कुमार, राज्य-कर उपायुक्त (53-55वीं बैच), विशेष अंचल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


24/06/2025

सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

बिहार, पटना।